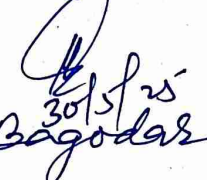
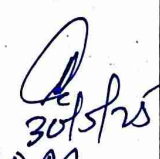


देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
अंज 25	वाद सं. 50/25 (भा. नं. कु. सं. 163) <u>आदेश</u> धाना प्रभादी बिरनी के प्रतिवेदन के आलोक में अप्पेहत्ताशरी के स्वामीय अधिकारिता श्रेष्ठ में विद्यमान विवाद के मद्देनजर लोक-परिश्रान्ति भोग होने की पुक्कल संभावना को देखते हुए निम्न-लिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर भा. नं. सु. सं. की पारा 163 के तहत दिनांक 11/04/25 की प्रभादी निधि से निचेप्याक्का प्रवृत्त किया गया तथा विवाद में सम्मिलित उभय पक्ष को उक्त वादग्रस्त भूमि पर जाने अवका कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया- मौजा: मरकोडीह, धाना-बिरनी खता: 22/50 , प्लॉट : 573 रकबा: 60 डी० नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा की गई। उभय पक्ष अप्पेहत्ताशरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा। उभय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा भी दाखिल किया गया। जारी-	

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष जोगेश्वर साव का कहना है वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज को डुकुनामा के जरिए प्राप्त हुआ तथा उक्त भूमि की जमाबंदी कायम करवा कर वे दावतकार चले आते हैं। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि गैर मजलद्वारा खराब खोले की भूमि है तथा किल्ला वाली बंदी है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि उनके पूर्वज को अलग-अलग बिहार मुदान यह कमिरी के पट्टा द्वारा उक्त भूमि दालिम है तथा उक्त भूमि की जमाबंदी भी अंचल कायम के मांग पंजी-य में कायम है। द्वितीय पक्ष आगे कहते हैं कि उक्त भूमि को लेकर स्वत्व वाद (Title Suit) 77/2016 माननीय न्यायालय गिरिडीह में लंबित है। तृतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पक्ष का अध्ययन करने	

1 की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्ष के विज्ञान अधिकारता के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उभय पक्ष के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर उत्पन्न विवाद एक-एकीपन (Title) से संबंधित है। चूँकि इनही पक्षकारों के मध्य इसी वादग्रस्त भूमि के Title, Possession इत्यादि के अधिनिर्णय हेतु सशम न्यायालय में Appropriate & suit दाखिल है अतः उक्त वाद में निर्णय आने तक उभय पक्ष को शांति बनाए रखना चाहिए। साथ ही चूँकि स्वत्व (Title) संबंधी विषय अप्रोप्रायटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा मामला Sub-judice भी है अतः उपरोक्त वाद में किसी पक्ष के हित में या कितने कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। अतः	

अतः

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अतः प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बिना कोई अंतिम आदेश पाए बिना समाप्त होखित की जाती है। माननीय न्यायाधीश न्यायालय से अंतिम निर्णय आने तक उभय पक्ष शान्त में शांति बनाए रखेंगे। मेलाफिन एवं संशोधित  SDM Bagodar Sariya  SDM Bagodar Sariya.	